105

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

कन्हैयालाल .... बनाम .... मूर्ति मन्दिर चारभुजा

किस्म मुकदमा धारा 88-188 RTA प्रकरण संख्या 33/17

GCMS नम्बरः– 2017/00190

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/4/20	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई पत्रावली में वर्णित तथ्यों का अध्ययन किया गया। पत्रावली में मेरिट व गुणावगुण के आधार पर खारिज/अस्वीकार की डिक्री पारित की गई। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाये गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 33/2017 (39/2013) दायर तारीख 11.09.2017 (10.08.2013)

अनवान्

1. मृतक कन्हैयालाल पुत्र जीतमल धाकड़ – **(मृतक)**
   1.1 लाली पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   1.2 महेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   1.3 नरेश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रामलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भंवरलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. सरजू बाई विधवा जीतमल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... वादीगण

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर चारभुजा नाथ ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां नाबालिग मार्फत संरक्षक
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – विद्वान अधिवक्ता वादीगण
2. श्री जगदीश धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 09/04/2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल ... वादपत्र **अर्न्तगत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय ...स्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या एक का ग्राम लक्ष्मीनिवास में स्थापित सार्वजनिक पूजा ... होकर जिसमें चारभुजा ठाकुर जी कि मूर्ति स्थापित है। माफीदार ठाकुर जी चारभुजाजी से जुडी ... कृषि खातेदारी भूमि मौजा लक्ष्मीनिवास में स्थित है। वादीगण के पूर्वजो द्वारा प्रतिवादी सख्या एक ...खातेदारी मे दर्ज भूमि गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 220 जिसका रकबा 12 बिस्वा पर काश्त की जाती ...जिसके बदले मे खातेदारी भूमि मे उपज का 1/3 हिस्सा मन्दिर में भेट स्वरूप दिया जाता था शेष ... हिस्सा वादीगण के पूर्वजो के परिवार के सदस्यो द्वारा उपयोग उपभोग किया जाता था वादीगण के ... द्वारा भूमि का रख रखाव करने के अतिरिक्त भूमि उन्नत व विकसित समय समय पर किया गया ... उन्होने अपनी अंग महनत एवम आर्थिक लागत वादग्रस्त काश्त भूमि पर लगायी। गत बन्दोबस्त मे ...स्त जायदाद खसरा नम्बर 220 आंशिक के नये बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 321 रकबा 11 बिस्वा दर्ज ...लेख हो वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त मे चले आ रहे है। जिनके द्वारा न केवल रख रखाव किया ...हा है अपितु उस पर आर्थिक लागत भी लगायी जा रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ... 15 अक्टुम्बर 1955 को सम्पूर्ण राजस्थान मे लागू किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ... के प्रभाव में आते ही जागीरदार एवम माफीदारो की खातेदारी समाप्त की जाकर काबिज काश्तकारान ...नके कब्जे वाली भूमि की खातेदारी दे दी गयी। इसी क्रम में जिन काबीजदारो ने समय पर आवेदन ...माफीदार व जागीरदार के नाम हटवा भूमि अपने नाम पर नही करवायी उनको इस क्षेत्र में हुये ...स्त के समय रेकर्ड व कब्जे की विधि के परिपेक्ष में जांच कर भूमि की खातेदारी काबिजदारो को

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रदान कर दी गयी। इसी क्रम में आराजी खसरा नम्बर 321 रकबे 11 बिस्वा की खातेदारी वादीगण को प्राप्त हो गयी तभी से भूमि उनके नाम पर दर्ज खाता अभिलेख चली आ रही थी और मन्दिर मूर्ति संख्या एक को उपज की दी जाने वाली हिस्सेदारी भी बन्द हो चुकी है। जीतमल पुत्र मोतीचन्द के वंशज वादीगण है। जो खातेदारी अधिकार जागीदारी व माफीदारी समाप्ती के पश्चात काबिज काश्तकारो को विधि के प्रभाव से दिये गये वे अधिकार किसी विधि से अब तक समाप्त नही किये गये है। प्रतिवादी संख्या दो ने राज्य सरकार की वर्ष 1992 में जारी विज्ञप्ति जिसमें मूर्ति के नाम पर दर्ज रही भूमि मूर्ति के नाम पर वापस दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। उसका बिना अध्ययन किये व विज्ञप्ति का समझे बिना सीधे तौर पर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो की अनदेखी करते हुये तत्कालीन खातेदारो की खातेदारी को समाप्त कर प्रतिवादी सख्या एक की खातेदारी मे वादग्रस्त खसरा नम्बर वाली भूमि को दर्ज अभिलेख कर दिया जो मूलतः अवैध व शून्य है। वादीगण के वैध खातेदारी अधिकारो पर इसका कोई प्रभाव नही है। वादीगण अपने पूर्वजो के पश्चात आज भी वादग्रस्त खसरा नम्बर के खातेदार होकर जरिये काश्त उसका कब्जा है। वर्ष 1992 में मूर्ति की खातेदारी मे दर्ज अभिलेख रही भूमि को वापस उसी के नाम करने की जो विज्ञप्ती जारी की गयी उसका आशय केवल इस सीमा तक लागू था जो ऐसे मामले थे (अ) कि मूर्ति के साथ किसी पुजारी या सरबराकार का नाम दर्ज अभिलेख है तो उसको हटाया जाकर मूर्ति के नाम पर भूमि दर्ज अभिलेख की जाये। (ब) कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद मूर्ति के साथ अभिलिखित खातेदार ने बिना किसी अधिकार के विधि विरूद्ध अधिकारो का उपयोग करते हुये नाबालिग मूर्ति की भूमि को विक्रय कर दिया है तो वह अवैध रूप से दर्ज किये गये अन्तरण को शून्य माना जाकर मूर्ति की भूमि को पुनः मूर्ति के नाम पर दर्ज अभिलेख की जावे। क्योकि पूजारी अथवा सरबराकार को नाबालिग मूर्ति की भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नही था। पुजारी एवम सरबराकारो ने अपने निजी लाभ के लिए केवल पूजा व प्रबन्धन के कार्य का दुरूपयोग करते हुये भूमि विक्रय की किन्तु माफीदार की भूमि पर काश्त करने वालो के लिए वर्ष 1992 की विज्ञप्ति लागू नही थी क्योकि मौजदारान काश्तकारो को खातेदारी अधिकार By Opration of Law प्राप्त हुये। विधि की कियान्वती मे प्राप्त की गयी खातेदारी को राज्य सरकार की जारी विज्ञप्ती 1992 की परिधि मे नही आने से वादग्रस्त जायदाद पर तत्कालीन खातेदारो की समाप्ती की गयी खातेदारी अवैध व शून्य है इसलिए वादीगण को पुनः वादग्रस्त जायदाद खसरा नम्बर 321 रकबे 11 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि अनुकूल है। वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त जायदाद पर निर्विवाद रूप से काबिज रह जरिये काश्त के कृषि का उपयोग करते रहे है वादीगण के पूर्वजो के पश्चात वादीगण का वादग्रस्त जायदाद पर साधिकार जरिये काश्त के कब्जा है जिसे किसी भी स्थिति में नहीं हटाया जा सकता वादीगण को जरिये काश्त के कृषि के उपयोग उपभोग का अधिकार है किसी प्रकार का हस्तक्षेप या कब्जे हटाने का प्रतिवादी न0 2 का कृत्य अनुचित है। प्रतिवादी सख्या दो द्वारा राजस्व अभिलेखो मे वादग्रस्त जायदाद को खातेदारी अधिकारो से संबंधी राजस्व अभिलेखो मे बदलाव की कोई जानकारी वादीगण अथवा उनके पूर्वजो को नहीं दी गयी न समुचित सुनवायी का अवसर दिया गया सीधे ही प्रतिवादी सख्या 2 एवम उसके अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरिक्षको ने यह परिवर्तन किये। दिनांक 15–2–2013 को वादीगण को यह जानकारी हुयी कि उनके कब्जे वाली भूमि से उनका कब्जा हटाया जा रहा है क्योकि काफी अर्सा पूर्व ही भूमि को प्रतिवादी सख्या एक के नाम पर दर्ज कर दिया गया है तो वादीगण ने राजस्व अभिलेखो का अवलोकन करवाया ओर पिछले रेकार्ड की जांच करवायी तो जानकारी हुयी कि वर्ष 1992 की विज्ञप्ती की कियान्वती मे वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी समाप्त की जाकर भूमि को प्रतिवादी सख्या एक के नाम तत्कालीन समय के अभिलिखित खातेदारो का नाम हटाया जाकर दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या दो को खातेदार के विरूद्व पारित किसी आदेश को लागू करने से पूर्व सुना जाना आवश्यक था। दिनांक 18–2–2013 को प्रथम बार वादीगण से सम्बन्धित उनके पूर्वजो की खातेदारी को समाप्त करने व निरन्तर उनके वारिसो के नाम पर भूमि दर्ज नही करने की जानकारी होने से बिनायदावा उत्पन्न हो गया है।

वादीगण अनुतोष चाहते हे कि (अ) लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ०न० 321 रकबा 11 बिस्वा से प्रतिवादी सख्या एक की खातेदारी समाप्त की जाकर वादीगण को वादग्रस्त जायदाद का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावे। (ब) वादीगण को वादग्रस्त जायदाद पर काश्त करने मे बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। (स) अन्य अनुतोष उचित वादपत्र हो बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता जगदीश धाकड़ को वादमित्र बनाया गया।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से वादमित्र अधिवक्ता जगदीश धाकड़ ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। जवाब के विशेष कथन एवं काउन्टर क्लेम में अंकित किया कि

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

... नाबालिग होने से इस कारण मन्दिर की भूमि पर अन्य कृषक को न काश्त करने ... भूमि ... अधिकार नहीं मिल सकते है। वादीगण को दौरान भू प्रबन्ध अधिकारी ने मन्दिर भूमि ... खातेदारी ... कृषि भूमि में बिना न्यायालय के आदेश एवं क्षेत्राधिकार के ... खातेदारी लिये जाने ... किया गया जो प्रारम्भतः शून्य व शून्य है। जिससे वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए ... राज्य सरकार ने सन् 1992 में विज्ञप्ति जारी कर दुरूस्त कर दिया जो विधि पर ... भूमि की ... वादग्रस्त भूमि मन्दिर मूर्ति मालमूआ की की है जिसके द्वारा जारी विज्ञप्ति भूमि के राजस्व ... है। वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध एवं वास्ता नहीं है। ... आराजी नम्बर 220 जो मन्दिर मूर्ति प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज थी को ... आराजी नम्बर 321 दर्ज कर वादीगण के पूर्वजों के नाम गलत तरीके से दर्ज करने का आदेश ... प्रतिवादी नम्बर 1 को जानी नहीं हो सकती एवं सन 1992 के राज्य सरकार के ... दुरूस्ती की गई है। चूंकि दौरान भू प्रबन्ध उक्त ... में हुआ है। जिसे पुनः ... के नाम दर्ज किया जाने हेतु घोषणात्मक डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 ... का अधिकारी है। यद्यपि उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 नाबालिग मन्दिर मूर्ति के ... रूप से निवेदन है कि राज्य सरकार की विज्ञप्ति व आदेश 1992 के तहत पुनः ... नाम दर्ज किये आदेश को यदि न्यायोचित नहीं भी माना जाता है तो प्रतिवादी नम्बर 1 ... इस आशय की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि भू-प्रबन्ध विभाग ने ... नम्बर 321 प्रतिवादी के नाम से हटाकर वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज करने का आदेश ... शून्य होकर उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व ... है।

वादीगण ने वादपत्र के साथ फोटो प्रति जमाबन्दी खसरा मौजा लक्ष्मीनिवास, प्रमाणित प्रति ... खाता सं. 137, प्रमाणित प्रति भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग मौजा लक्ष्मीनिवास ... मौजा लक्ष्मीनिवास ... की जो शामिल पत्रावली है।

उक्त वादपत्र से निम्न वाद बिन्दु (तनकीयात) कायम की गयी।

क्या मौजा लक्ष्मीनिवास स्थित कृषि भूमि जिसका विवरण वादपत्र की चरण संख्या तीन में दिया गया ... जागीरदार मालमूआ मन्दिर की खातेदारी में दर्ज है जागीरदारी प्रथा समाप्ती के पश्चात वादीगण के ... व उनके बाद वादीगण के कब्जे के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पश्चात वादीगण ... खसरा नं0 321 रकबा 11 बिस्वा की खातेदारी पाने के अधिकारी है।

.... वादीगण

क्या वादग्रस्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आते ही जागीरदारी एवं ... दारी की खातेदारी समाप्त कर काबिज वादीगण के पूर्वजो को उनके कब्जे वाली भूमि की खातेदारी दे ... थी तथा वादी के पूर्वजों को खातेदारी प्राप्त हो गयी तब से उनके नाम दर्ज खाता चली आ रही थी ... राज्य सरकार ने वर्ष 1992 में जारी विज्ञप्ति के आधार पर वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी समाप्त ... है। जबकि काबिज काश्तकार को खातेदार घोषित किया जाना विधि सम्मत है।

.... वादीगण

क्या वादीगण वादग्रस्त जायदाद पर साधिकार काश्त करते रहने के अधिकारी हो प्रतिवादीगण के विरूद्ध ... जाने वाली बेदखली के विरूद्ध निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

.... वादीगण

क्या प्रतिवादी संख्या एक शाश्वत स्थाई रूप से अवयस्क होने से उनकी खातेदारी भूमि की अन्य को ... दारी प्रदान नही की जा सकती है।

.... प्रतिवादीगण

क्या वादग्रस्त जायदाद मन्दिर के रख रखाव व सेवा पूजा मे होने वाले व्यय का स्त्रोत होने से उसे ... करने के लिए अन्य को खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है।

.... प्रतिवादीगण

क्या बन्दोबस्ती विभाग द्वारा वादीगण अथवा उनके पूर्वजो को प्रदान की गयी खातेदारी अवैध होने से ... का कोई विधिक प्रभाव नही है। प्रतिवादी न० एक के नाम राज्य सरकार के आदेश से खातेदारी मे दर्ज ... जाना वैध है।

.... प्रतिवादीगण

अनुतोष क्या होगा।

पत्रावली में साक्ष्यवादी में PW-1 रामलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र 60 वर्ष पेशा कृषि ... डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा, PW-2 अमरचन्द पिता बालू जाति धाकड़ उम्र 76 वर्ष ... कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा एवं PW-1 नोला पुत्र खाना जाति ... उम्र 50 वर्ष पेशा कृषि निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो ... पत्रावली हैं।

लगातार पेज संख्या 05 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने पत्रावली को साक्ष्य ...ता में रखा गया।

वादमित्र अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी में ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल ...दी संवत् 2069–72 प्रतिलिपि पेश की जो प्रदर्श डी–1 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी पेश ...प्रदर्श–2 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी संवत् 2028–2031 पेश की जो प्रदर्श डी–3 हैं। ...लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी संवत् 2045–2048 की फोटो प्रतिलिपि पेश की जो प्रदर्श डी–4 हैं ...मिल पत्रावली हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 बुद्धि प्रकाश पिता छितरलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी ...हाल मु. प0ह0 गोपालपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो शामिल ...ली है।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 बुद्धि प्रकाश पिता छितरलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी ...हाल मु. प0ह0 गोपालपुरा तहसील बिजौलियां ने अपने बयान में लिखाया कि मैं वर्तमान में पटवार ...गोपालपुरा में पटवारी के पद पर कार्यरत हूं। वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 ...ग्राम लक्ष्मीनिवास के खाता संख्या 163 पर अंकित आराजी नम्बर 320, 321, 322, 323, 324, 328, ...332 कुल किता 8 रकबा 0.73654 हैक्टेयर भूमि श्री चारभुजा जी स्थान देह खातेदार के नाम दर्ज ...है। जिसकी जमाबन्दी ई. हस्ताक्षरित ऑनलाईन जमाबन्दी की प्रति पेश की जो प्रदर्शानुसार हैं। ...रेकॉर्ड में वादीगण का कही पर भी नाम अंकित नहीं हैं। वादगस्त जमीन श्री चारभुजा जी स्थान देह ...दर्ज रेकॉर्ड हैं।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं बहस पर मनन ...साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। राजस्व रेकॉर्ड में भूमि विपक्षीगण के ...दर्ज हैं। वादीगण के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से एवं भूमि पर कब्जा वादीगण का नहीं होने से प्रस्तुत ...वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ...रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

वादपत्र वादीया अन्तर्गत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार** किया जाकर ...दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ०न० 321 रकबा 11 बिस्वा के सम्बन्ध में ...वादीगण के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री किया ...है। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 09/04/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

...लय मोहर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 33/2017 (39/2013)

दायर तारीख 11.09.2017 (10.08.2013)

अनवान्

1. मृतक कन्हैयालाल पुत्र जीतमल धाकड़ – **(मृतक)**
1.1 लाली पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
1.2 महेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
1.3 नरेश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रामलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भंवरलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. सरजू बाई विधवा जीतमल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.................डिक्रीदार

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर चारभुजा नाथ ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां नाबालिग मार्फत संरक्षक
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

................मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 09 / 04/2026

डिक्री दिनांक : 09 / 04/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारीलाल आचार्य व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री जगदीश धाकड़ को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास स्थित भूमि आ०न० 321 रकबा 11 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादीगण के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुरत्तिब हो।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नीज ....Nil...................................मुबलिग .... Nil ....बाबत ......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की
... से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 04 वर्ष 2026 को जारी
... गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
...अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
...वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
...वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
...ताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
...गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
...कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
...इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
...रिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ